संख्या- 220 आ.न.यो/9-8-2014-14(1)आ.न.यो./13

प्रेषक

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत-रसूलाबाद,
जनपद-कानपुर देहात।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ :: दिनांक 14 फरवरी, 2014

विषयः नगर पंचायत-रसूलाबाद जनपद-कानपुर देहात को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत किये गये अनुदान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मेमो/न.पी.आर./2013-14 दिनांक 16.7.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-89आ.न.यो /9-8-13-14(01)आ.न.यो./2012 दिनांक 28.6.2013 द्वारा 13 कार्यो के लिए रूपये 75.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष रूपये 37.50 लाख की धनराशि जारी किये जाने के परिप्रेक्ष्य में निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यो को किसी अन्य योजना से करा लिए जाने के पश्चात स्वीकृत किये गये कार्यो के स्थान पर नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निकाय के उक्त अनुरोध को स्वीकार किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। अतः कृपया शासनादेश संख्या-89आ.न.यो/9-8-13-14(01)आ.न.यो./2012 दिनांक 28.6.2013 द्वारा 13 कार्यो के लिए रूपये 75.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि रूपये 37.50 लाख को ब्याज सहित निम्नलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर चालान की प्रति शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

"2217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता

99- वापसियां"

3. यह भी सूच्य है कि यदि निकाय द्वारा पूर्व में स्वीकृत कार्यो के स्थान पर नवीन कार्यो को जनहित में कराया जाना नितांत आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण पाया जाता है तो इसका औचित्य दर्शाते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जा सकता है एवं शासन द्वारा निकाय के प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. जिलाधिकारी कानपुर देहात।
4. कोषाधिकारी कानपुर देहात।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/9

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

GO-ANy

संख्या- 221 आ.न.यो/9-8-2014-14(1)आ.न.यो./13

प्रेषक

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत-टीकरी
जनपद-बागपत।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ :: दिनांक 14 फरवरी, 2014

विषयः नगर पंचायत-टीकरी जनपद-बागपत को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत किये गये अनुदान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-343/न.पं.टीकरी/2013-14 दिनांक 27.7.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-788आ.न.यो /9-8-13-04(03)आ.न.यो./2013 दिनांक 04.7.2013 द्वारा **" प्रीतम के खेत के कोने से टीकरी दोघट वाली पक्की सड़क तक प्री-मिक्सिंग व दोनों ओर पटरी पर सी.सी. इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सडक निमार्ण कार्य मूल्यांकित लागत रूपये 26.45 लाख तथा " जनता भटठे से सूजती वाले रास्ते पर पक्की सड़क तक सी.सी. इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य" मूल्यांकित लागत रूपये 25.36 लाख के कार्य पूर्व वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत किये जाने के दृष्टिगत उक्त कार्यो के स्थान पर नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निकाय के उक्त अनुरोध को स्वीकार किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। अतः कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 04.7.2013 द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यो में से कार्य **"प्रीतम के खेत के कोने से टीकरी दोघट वाली पक्की सड़क तक प्री-मिक्सिंग व दोनों ओर पटरी पर सी.सी. इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सडक निमार्ण कार्य मूल्यांकित लागत रूपये 26.45 लाख तथा " जनता भटठे से सूजती वाले रास्ते पर पक्की सड़क तक सी.सी. इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य" मूल्यांकित लागत रूपये 25.36 लाख** कुल रूपये 51.81 लाख को ब्याज सहित निम्नलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर चालान की प्रति शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

"2217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता
99- वापसियां"

3. यह भी सूच्य है कि यदि निकाय द्वारा उक्त प्रस्तावित दोनों कार्यो को जनहित में कराया जाना नितांत आवश्यक एवं औचित्य पूर्ण पाया जाता है तो इसका औचित्य दर्शाते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जा सकता है एवं शासन द्वारा निकाय के प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. जिलाधिकारी बागपत।
4. कोषाधिकारी बागपत।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/9

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

GO-ANy

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या- 222 आ.न.यो/नौ-8-13-14(1)आ.न.यो./13
लखनऊ:: दिनांक 15 फरवरी, 2014

शुद्धि-पत्र

आदर्श नगर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-89आ.न.यो./नौ-8-2014-14(01)/आ.न.यो./2012, दिनांक 28.06.2013 के द्वारा विभिन्न नगर पंचायतों के साथ-साथ नगर पंचायत सौंख जनपद-मथुरा को रूपये 70.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष रूपये 35.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत-सौंख जनपद-मथुरा के पत्र दिनांक 05.7.2013 में वर्णित तथ्यों एवं किये गये अनुरोध के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-89आ.न.यो /9-8-13-14(01)आ.न.यो./2012 दिनांक 28.6.2013 में स्वीकृत किये गये कार्य ''वार्ड नम्बर-4 में ज्ञान के मकान से ध्रुव के मकान तक सी.सी. इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य'' मूल्यांकित लागत ''रूपये 13.10 लाख'' के स्थान पर '' रूपये 1.31 लाख'' पढ़ा जाय।

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 222 (1)/नौ-8-2013 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मथुरा।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत-सौंख जनपद-मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त संशोधन क फलस्वरूप अवशेष धनराशि रूपये 11.79 लाख की धनराशि निम्नलिखित लेखाशीर्षक ''2217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता 99-वापसियां'' में जमा कर शासन को एक सप्ताह के अन्दर चालान की प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।